बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

महत्वपूर्ण
फैक्स/ई-मेल

पत्रांक–प्र07–कि0आ0–01/2017– 5830 खाद्य, पटना/दिनांक– 17/11/2017

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– **नवम्बर, 2017 के लिए किरासन तेल का उपावंटन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2017–18 के तृतीय त्रैमास के माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2017 के लिए कुल 1,43,484 के0एल0 किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है । भारत सरकार से यह भी निदेश प्राप्त हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक किरासन तेल के आवंटन का सम्पूर्ण उठाव उक्त मास की समाप्ति से पूर्व ही कर लिया जाय । अति विशिष्ट परिस्थितियों, यथा प्राकृतिक आपदा, इत्यादि की स्थिति में ही उपावंटन के विरूद्ध अवशेष तेल को अगले माह में अग्रगणित किया जा सकता है ।

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक – 5829 दिनांक – 17.11.2017 के आलोक में माह **नवम्बर, 2017** के लिए सभी जिलों में किरासन तेल का उपावंटन संलग्न आवंटन तालिका के अनुसार किया जाता है।

3. जिला पदाधिकारी, मधुबनी की अधियाचना के आलोक में छात्रावासों/लॉजों/मदरसों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में रहने वाले छात्रों को किरासन तेल की आपूर्ति हेतु मधुबनी जिला के लिए जिला सुरक्षित मद में अरवल जिला के जिला सुरक्षित मद की मात्रा काट कर 3791 लीटर अतिरिक्त किरासन तेल सहित कुल 7582 लीटर किरासन तेल का आवंटन किया जा रहा है ।

4. पटना जिला के लिए आवंटित किरासन तेल में सारण जिला के दिघवारा अन्तर्गत अकिलपुर पंचायत के 3598 ग्रामीण परिवारों, पटना हाई कोर्ट सेन्ट्रल कंज्यूमर्स कॉऑपरेटिव स्टोर के 4191 सदस्यों एवं दानापुर छावनी परिषद् के 10,220 परिवारों का भी आवंटन सम्मिलित है ।

5. औरंगाबाद जिला के आवंटन में जम्होर विघटित अधिसूचित क्षेत्र के 2000 परिवारों का भी आवंटन सम्मिलित है ।

6. ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती थानों में रोशनी के लिए आवंटित तेल को संबंधित जिलों के आरक्षी अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया जाय ।

7. सरकार द्वारा थोक विक्रेताओं को जिला स्तर से किरासन तेल आवंटित करने के निर्णय के आलोक में विस्तृत निदेश, विभागीय पत्रांक– 4030 दिनांक–26.07.2010 द्वारा उपलब्ध कराया गया है । उक्त निदेश के आलोक में थोक विक्रेताओं को किरासन तेल उपावंटित कर आवंटन आदेश की एक प्रति अविलम्ब जिलों से संबंधित आई0 ओ0 सी0/बी0 पी0 सी0 एल0 /एच0 पी0 सी0 एल0 के डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर/एरिया मार्केटिंग मैनेजर तथा राज्य स्तरीय संयोजक –सह– महाप्रबंधक, आई0ओ0सी0 पटना को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि तेल कंपनियाँ ससमय आवंटित मात्रा विमुक्त कर सके ।

8. थोक विक्रेताओं का आवंटन निर्धारित करते समय जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं के व्यापक हित एवं भौगोलिक अवस्थिति तथा थोक विक्रेताओं की भंडारण क्षमता आदि को ध्यान में रखा जाय ।